राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 5353

दिनांकः 30.07.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 18 / 19398–99 दिनांक 25.06.18 से पुलिस थाना भालता के अभियोग सं0 86 / 18 धारा 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मोहन लाल पुत्र मांगी लाल जाति तंवर निवासी सागोडिया थाना भालता जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.06.2018 को थानाधिकारी श्री महेन्द्र कुमार मय जाप्ता चेकिंग गुंडा बदमाशान व अवैध कार्य की रोकथाम हेतु गश्त करते हुए आसलपुर तिराहे पर पहुंचने पर मुखबिर से इत्तला मिली कि सोहनखेडा तिराहे पर एक शख्स मोहन लाल पुत्र मांगी लाल जाति तंवर निवासी सागोडिया थाना भालता जिला झालावाड खडा है, जिसके पास एक देशी रिवाल्वर है और वह जल्दी जाने की फिराक मे है। इस इत्तला पर मय जाप्ते की उक्त सांकेतिक स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पेंट शर्ट पहना हुआ पुलिस को बावर्दी देखकर सरडा की तरफ भागने लगा। जिसको हमराही जाप्ते की मदद से डिटेन कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहन लाल पुत्र मांगी लाल जाति तंवर निवासी सागोडिया थाना भालता जिला झालावाड बताया। जिसकी तलाशी लिये जाने पर पेंट की बायी तरफ एक देशी रिवाल्वर 6 राउण्ड की मिली। अनुज्ञापत्र नही बताये जाने पर मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्व 3 / 25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाया गया। जब्तशुदा देशी रिवाल्वर 6 राउण्ड का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आरर्मोरर ने बताया कि देशी रिवाल्वर 6 राउण्ड का है व बाद मरम्मत फायर करने योग्य हो सकता है। जो फायर आर्म्स की जद मे आता है। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री रमेशचंद शर्मा एसआई व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी रिवाल्वर को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त मोहन लाल पुत्र मांगी लाल जाति तंवर निवासी सागोडिया थाना भालता जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

E/Procecution Senction

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

जगमग झालावाड